राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4942/2022

ललिता देवी महावर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.09.2022
आदेश की दिनांक : 04.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– एम.एस काला, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर ,राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोंकरवाडा, ब्लॉक सिकराय, जिला दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2005 में शिक्षक ग्रेड तृतीय स्तर प्रथम के पद पर हुई थी और उक्त पद पर वे दिनांक 16.06.2018 के आदेश के तहत नियम 6डी के प्रावधानों के आधार पर अपीलकर्ता को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर नियुक्त किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 28.02.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा ब्लॉक दौसा में उसके आवासीय स्थान के पास शिक्षक ग्रेड तृतीय स्तर प्रथम के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन दिया था लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज दिनांक तक उसका कोई निस्तारण नहीं किया

गया है तथा अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी स्वयं जोड़ों के दर्द से पीड़ित है और सास वरिष्ठ नागरिक है अपीलार्थी एकल महिला है तथा परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है और अपीलार्थी के माता–पिता अपीलार्थी के साथ रहते है एवं वह वर्तमान पदस्थापन स्थान से बहुत दूर के निवासी है लेकिन इस पहलू पर विचार किए बिना ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। और अपीलार्थी के स्थान पर किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 28.02.2022 का निस्तारण किया जावे तथा अपीलार्थी को अभ्यावेदन में अंकित विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया अभ्यावदेन दिनांक 28.02.2022 का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं

दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(एम.एस.काला)
सदस्य